

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ECT तकनीशियन के पद के लिए भर्ती-नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं० एबी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ECT तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

नई दिल्ली
दिनांक :

श्री. सामंता
(जी. पी. सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063006

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, (तकनीशियन ईसीटी), भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में तकनीशियन (ईसीटी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तकनीशियन (ईसीटी) (समूह 'ग'), भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता :** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीशियन (ईसीटी)	01 * (2017)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' असजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर -5 (29200-92300रु)	लाभ नहीं होता	18 से 25 आयु के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पानी उपखंड, अदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।</p>	<p>परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।</p>
<p>(7)</p>	<p>(8)</p>	<p>(9)</p>
<p>आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञानमें स्नातक डिग्री । वांछनीय : मनोवैज्ञानिक उपकरण को हैंडल करने में एक वर्ष तक का अनुभव । टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>	<p>लागू नहीं होता ।</p>	<p>दो वर्ष टिप्पण : दो वर्ष की अवधि दो सप्ताह की कालावधि के आजापक प्रवेश प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने की शर्त के अद्यधीन होगी ।</p>

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।</p>	<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>(10)</p>
<p>(10)</p>	<p>(11)</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p>
<p>सीधी भर्ती द्वारा</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>(11)</p>

<p style="text-align: center;">यदि विभागीय प्रोजेक्ट सभिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p style="text-align: center;">भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p style="text-align: center;">(12)</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि सभिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. मनोवैज्ञानिक विभाग का विभाग प्रमुख - सदस्य 3. उप निदेशक, चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. उप निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 	<p style="text-align: center;">(13)</p> <p style="text-align: center;">लागू नहीं होता</p>

[फा.सं. ए. 11018/16/2014 -एफ एच II]

(जी पी सामंता)
अवर सचिव, भारत सरकार